

प्रेषक,
सहायक शिक्षा निदेशक (वैशिक),
सहारनपुर मंडल सहारनपुर।
सेवा में,

प्रबन्धक/प्रधानाध्यापक,
~~डी.ए.वी.ए. जू. हा. स्कूल~~
~~ब्रह्मपुर मनिहारन (सहारनपुर)।~~

पत्रांक मान्यता/ 3019-25 / 1999-2000 दिनांक 31-3-2000
विषय: असातवीं पूर्व माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 6 से 8 तक) अस्थायी मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,
शासनोदेश संख्या 646/15-6-97-10 स्स 78/09 दिनांक 13-8-97 में लिये गये अधिकारों के अन्तर्गत मंडलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 20-3-2000 में लिये गये निर्णयानुसार आपके विद्यालय की कक्षा 6 से 8 तक की अस्थायी मान्यता की शिफारस 1999-2000 से प्रदान की जाती है। प्रत्येक कक्षा हेतु एक वर्ग की अनुमति भी प्रदान की जाती है।

शासनोदेश में विहित मानकों के अनुसार आपके विद्यालय हेतु निम्नलिखित शिफारस एवं शिफारसी त्तर कर्मचारियों के पद अनुमत्य होंगे :-

- प्रधानाध्यापक - एक
- सहायक अध्यापक - चार
- लिपिक - एक
- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी - एक

उपरोक्त अनुमति में विभागाध्यक्ष/आपके अध्यापक जाने जायेंगे। शासकीय विभागाधीन उपस्थिति का पालन करना अनिवार्य होगा, पालन न करने की स्थिति में मान्यता प्रत्याहरण का अधिकार उपरोक्त वैशिक शिक्षा परिषदाद को होगा।
भावस्थीय,

मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (वैशिक)
सहारनपुर मंडल, सहारनपुर।

- 2-01/15 संख्या: मान्यता/ 3019-25 / 1999-2000 दिनांक
- प्रस्तावार्थि निम्नलिखित अधिकारियों की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषक
- 1- अपर शिक्षा निदेशक (वैशिक), उ०प्र०, शिक्षा निदेशालय, झांझाबाद।
 - 2- सचिव, उ०प्र० वैशिक शिक्षा परिषदाद, झांझाबाद।
 - 3- जिला वैशिक शिक्षा अधिकारी - ~~ब्रह्मपुर~~
 - 4- जिला अधिकारी, कार्यालय जिला वैशिक शिक्षा अधिकारी - ~~ब्रह्मपुर~~
 - 5- तालुका अध्यापक अधिकारी - ~~ब्रह्मपुर~~
 - 6- उप-वैशिक शिक्षा अधिकारी - ~~ब्रह्मपुर~~
 - 7- सहायक वैशिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षा क्षेत्र -
 - 8- नगर शिक्षा अधिकारी, नगर क्षेत्र -
 - 9- नगरपालिका कार्यालय

प्रसक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
सहारनपुर।

सेवा में,

प्रबन्धक,
डी०ए०वी० पब्लिक स्कूल
रामपुर मनिहारान, सहारनपुर

पत्रांक / मान्यता / 4494-97

/2013-14 / दिनांक 10-07-13

विषय- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उप नियम (4) के अधीन प्रबन्धक, डी०ए०वी० पब्लिक स्कूल रामपुर मनिहारान, सहारनपुर की मान्यता को सम्बन्ध नै।

महोदय,

आपके दिनांक 30.10.2012 के आवेदन और इस सम्बन्ध में पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं, प्रबन्धक, डी०ए०वी० पब्लिक स्कूल रामपुर मनिहारान, सहारनपुर को दिनांक 29.06.2013 से कक्षा 1 से कक्षा 5 तक (अंग्रेजी माध्यम) के लिए अनन्तितम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। उक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अधधीन है-

- 1 मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 5 के पश्चात मान्यता /सम्बन्धन करने के लिए कोई बाधकता विवक्षित नहीं है।
- 2 विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 उपाबंध 1 और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 उपाबंध 2 के उपबंधों का पालन करेगा।
- 3 विद्यालय कक्षा 1 में (या यथा स्थिति नर्सरी कक्षा) में, उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गी और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
- 4 पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता खोलेगा।
- 5 सोसाइटी/विद्यालय किसी कंपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधधीन नहीं करेगा।
- 6 विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा-
 - (1) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होन तक किसी भी कक्षा में फल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - (2) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन के अधधीन नहीं किया जायेगा।
 - (3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - (4) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - (5) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निष्कृता गस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
 - (6) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हता के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हता नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हता अर्जित करेगे।
 - (7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है। और (e) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेगे।
- 7 विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्य चर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- 8 विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथापिनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाये निम्नानुसार है।
विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल पूर्ण है
कुल निर्मित क्षेत्र पूर्ण है
झींडा स्थल का क्षेत्रफल पूर्ण है

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
सहारनपुर
D.A.M. Public
Rampur Manihar

(2)

- बसार्थों की संख्या पूर्ण है
- प्राध्यापक सह कार्यालय, राह भण्डारागार के लिए कक्षा है
- बालक-बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय है
- पेयजल सुविधा है
- भिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई है
- वाचा रहित पहुच है
- अध्यापन पठन सामग्री / कीडा खेलकूद उपकरणों / पुरतयालय की उपलब्धता है
- 9 विद्यालय के परिसरों भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जायेंगी।
- 10 विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।
- 11 विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन, रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- 12 स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किसी अन्य व्यवस्थित के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
- 13 विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए - प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजनी चाहिए।
- 14 आपके विद्यालय को आवश्यक मान्यता कोड संख्यांक 1003/2013 है। कृपया इसे नोट कर लें। और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
- 15 विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो। और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदया का अनुपालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्य-करण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें।
- 16 सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि हो तो सुनिश्चित किया जाये।
- 17 संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय

10-7-13
(शैलेन्द्र सिंह)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
सहारनपुर।


/2013-14/दिनांक तदैव।

पृ0सं0 / मान्यता /

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1 सहायक शिक्षा निदेशक, (बेसिक), सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।
- 2 सम्बन्धित खण्ड/नगर शिक्षा अधिकारी, जनपद- सहारनपुर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
सहारनपुर।


1410424
D.A.V. Public School
Rampur Manikpur (J.M.P.)